

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/158
प्रार्थी

दिनांक - 19/11/2023

बनाम
1 जोरा उर्फ जोरसिंह पुत्र
नवलाराम जाति जाट
निवासी सर का पार बान्दरा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 भीयाराम पुत्र नवलाराम 2 ओमप्रकाश पुत्र सगताराम
3 संजु पत्नी सगताराम 4 गजु पत्नी पीराराम 5
बगताराम 6 मोटाराम पिसरान लिखमाराम 7 राजुराम
8 रामाराम पिसरान भंवराराम 9 कस्तुराराम 10
दुदाराम 11 अमराराम पिसरान कलाराम 12 रूपाराम
13 उम्मेदाराम 14 पुरखाराम 15 मकाराम पिसरान
आदुराम 16 चुनाराम 17 बाबुराम 18 पनाराम पिसरान
पीराराम 19 केहराराम 20 जुंझाराम पिसरान भंवराराम
21 कमलादेवी पत्नी भंवराराम 22 चेतनराम पुत्र
दीपाराम 23 पदमोदेवी पत्नी दीपाराम जाति जाट
निवासी सरका पार बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर 24 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 156/2022

दिनांक- 12/11/2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सर का पार पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 954/383 रकबा 22.11 बीघा व खसरा संख्या 957/384 रकबा 13.15 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 19/11/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/159-62

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जोरा उर्फ जोरसिंह पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी सर का पार बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भीयाराम पुत्र नवलाराम वगैराह जाति जाट निवासी सर का पार, बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर